कार्यालय आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, चण्डीगढ़–I
केन्द्रीय राजस्व भवन, प्लाट सं. 19, सैक्टर–17 सी,
चण्डीगढ़–160017

फा0सं0 I–22(1)हि./2012/195 दिनांक:– 17/07/2014

सेवामें,

सभी अधिकारी/शाखा प्रभारी,
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,
चण्डीगढ़–I

2. उप/सहायक आयुक्त,
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मण्डल,
चण्डीगढ़/शिमला/मण्डी गोबिन्दगढ़/
सेवाकर मण्डल, चण्डीगढ़

महोदय/महोदया,

विषय– इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार योजना में संशोधन।

कृपया उपरोक्त विषय पर निरीक्षण महानिदेशालय के पत्र के साथ प्राप्त वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग के पत्र संख्या ई–30020!1/2011/ए.डी(हिन्दी–4) दिनांक 13 जून 2014 तथा गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14011/01/2014/रा.भा.(नीति) दिनांक 7 मई 2014 की प्रतिलिपि आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। कृपया इसे सारे स्टाफ के ध्यान में लाया जाये।

संलग्न– उपरोक्त पत्र की प्रतिलिपि।

भवदीय

सहायक निदेशक(राजभाषा)

373

1529

No. 14011/01/2014-O.L (Policy)
Government of India
Ministry of Home Affairs
Department of Official Language

....

NDCC-II Bldg., 4th Floor, B Wi
Jai Singh Road, New Delhi-1100
Dated the, 7th May, 20

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Amendment to Indira Gandhi Official Language Award Scheme.

The amount of prizes for writing original books in Hindi under Indira Gandhi Officia Language Award Scheme has now been increased 50% viz:

1. Ist Prize	Rs. 60,000/-
2. IInd Prize	Rs. 45,000/-
3. IIIrd Prize	Rs. 30,000/-
4. Incentive Prize	Rs. 15,000-/

2. This Award Scheme is not restricted to the officers/employees of Central Governme only, but will also apply to the persons working in Banks, Public Sector Undertakin Financial Institutions, Universities and Educational and Training Institutes. This increas prize-amount will be deemed to be effective from the year 2014-15. Except for the abo said amendments, all other conditions contained in the Office Memorandum N II/12013/2/85-OL(A-2), dated 30.7.1986 will remain unchanged.

3 All the Ministries/Departments of Government of India are requested to give wi publicity to this revised scheme to ensure maximum participation in the scheme. Th Department may be apprised of the action taken in this regard.

(Bhopal Singh)
Director/Poli

To

1. Joint Secretary (Admn) of all Ministry/Department, Government of India.
2. Director, Central Translation Bureau, Paryavaran Bhavan, Lodhi Road, New Delhi.
3. Director, Central Hindi Training Institute, Paryavaran Bhavan, Lodhi Road, New Delhi.
4. All Officers/Section of Official Language Department.
5. NIC, Department of Official Language- with a request to upload this on the Official Language web-site.

for website
S(Sys)

-175-

कार्यालय मुख्य आयुक्त
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, चण्डीगढ़
02 JUL 2014 2132
Office of the Chief Commissioner
Central Excise, Chandigarh

केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, चण्डीगढ़-I
09 JUL 2014
CE Commissionerate, Chandigarh-I

फा.सं. 4031/14/2007
निरीक्षण महानिदेशालय,
सीमा एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,
आई.पी.एस्टेट ,आई.पी. भवन,
नई दिल्ली ।

दिनांक :- 24.6.2014

सेवा में,

1. **महानिदेशक/मुख्य आयुक्त/निदेशक (सभी),**
2. मुख्य नियंत्रक, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाने, ग्वालियर
3. नारकोटिक्स आयुक्त, ग्वालियर
4. निरीक्षण महानिदेशालय की सभी क्षेत्रीय इकाईयां
5. निरीक्षण महानिदेशालय के सभी अनुभाग प्रभारी

विषयः इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार योजना में संशोधन ।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय पर भारत सरकार, वित मंत्रालय, राजस्व विभाग के दिनांक 13.62014 के पत्र फा.स. ई.30020/1/ 2011-एडी (हिन्दी-4) की प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक/अपेक्षित कार्रवाई के लिए संलग्न कर प्रेषित की जाती है ।

भवदीय,

संलग्नः उपरोक्तानुसार ।

(ओम प्रकाश)
अपर निदेशक

1178
9/7/14
प्रतिलिपिः निदेशक (राजभाषा), वित मंत्रालय, राजस्व विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को सूचनार्थ ।

मुख्य आयुक्त कार्यालय केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क
सी.आर. बिल्डिंग. प्लाट नं–19सी सेक्टर–17सी चण्डीगढ–160017

सी सं 8/जोन–14/प्रशा/राजभाषा/2014 4685 दिनांकः .07.2014

पत्र की प्रतिलिपि आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्तालय, चण्डीगढ–I/चण्डीगढ –II/लुधियाना/अमृतसर/जम्मू एवं कश्मीर को सचनार्थ एवं आवश्यक अपेक्षित कार्रवाई हेतु संलग्न कर प्रेषित की जाती है।

भवदीय,
7/7/14
(हरिंदर सिन्हा)
प्रशासनिक अधिकारी (सी. सी. यू.)

(376)

सं0 ई-30020/1/2011-ए.डी.(हिन्दी-4)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

श्री तिवारी स.नि.
19/6

Dy. No. 1660
20 JUN 2014

नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
दिनांक 13 जून, 2014

विषय - इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार योजना में संशोधन

उपर्युक्त विषय पर राजभाषा विभाग से प्राप्त दिनांक 07 मई, 2014 के कार्यालय ज्ञापन सं0 14011/01/2014-रा.भा.(नीति) की प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है । अनुरोध है कि उक्त योजना के अंतर्गत पुरस्कार राशि में की गई वृद्धि तथा पात्रता संबंधी शर्त में किये गये संशोधन का व्यापक रूप से प्रचार करें और योजना में भाग लेने के लिए इच्छुक व्यक्तियों की प्रविष्टियाँ सीधे राजभाषा विभाग को भेज दें ।

संलग्न: यथोक्त

(जगमोहन सिंह नेगी)
सहायक निदेशक(राजभाषा)

सेवा में,

राजस्व विभाग के सभी अनुभाग/अधिकारी
राजस्व विभाग के सभी नियंत्रणाधीन कार्यालय -

1. रजिस्ट्रार,
   सम्पहृत सम्पत्ति अपील अधिकरण, चौथा तल,ए विंग,
   लोक नायक भवन, खान मार्किट , नई दिल्ली -110003.
2. रजिस्ट्रार, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर,
   अपील अधिकरण विंग-5, पश्चिमी खण्ड -2, आर0के0पुरम,
   नई दिल्ली- 110066.
3. सचिव, आयकर समझौता आयोग,
   लोक नायक भवन,खान मार्किट, नई दिल्ली -110003.
4. उप महानिदेशक, केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो,
   इंडियन आयल भवन, जनपथ, नई दिल्ली - 110001.
5. निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय, लोक नायक भवन,
   खान मार्किट,छठा तल, नई दिल्ली- 110003.
6. निदेशक(प्रशा0), आयकर निदेशालय, (गवेषणा सांख्यिकी एवं जन सम्पर्क),
   छठी मंजिल, मयूर भवन, नई दिल्ली -110001.

SK Om Prakash
19/6

-174-

क्रम सं 44 (अ०)

90515/2014-D(OL-I)
29/05/14

374 16

सं0-14011/01/2014-रा.भा.(नीति)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

(राजभाषा विभाग)

एन.डी.सी.सी.-।। बिल्डिंग, 'बी' विंग, चौथा तल
जयसिंह रोड,नई दिल्ली- 11000
दिनांक 2 मई, 2014

कार्यालय ज्ञापन

विषय: इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार योजना में संशोधन।

इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार योजना के अन्तर्गत हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए अब पुरस्कार राशि में 50% वृद्धि की गई है अर्थात्,

1.	प्रथम पुरस्कार	60,000/- रूपये
2.	द्वितीय पुरस्कार	45,000/- रूपये
3.	तृतीय पुरस्कार	30,000/- रूपये
4.	प्रोत्साहन पुरस्कार	15,000/- रूपये

2. यह पुरस्कार योजना केवल केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए सीमित नहीं रहेगी बल्कि बैंकों, सरकारी उपक्रमों, वित्तीय संस्थानों, विश्वविद्यालयों, शैक्षिक व प्रशिक्षण संस्थाओं में कार्यरत व्यक्तियों पर भी लागू होगी । यह बढ़ी हुई पुरस्कार राशि वर्ष 2014-15 से प्रारम्भ मानी जाएगी । उपर्युक्त संशोधनों के अलावा इसकी सभी शर्तें, जो कि इस विभाग के दिनांक 30.07.1986 के कार्यालय ज्ञापन संख्या ।।/12013/2/85-रा.भा.(क-2) में वर्णित है, पूर्ववत रहेंगी ।

3. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से यह अनुरोध है कि वे इस संशोधित योजना के बारे में व्यापक रुप से प्रचार करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसमें भाग ले सकें । कृपया इस संबंध में की गई कार्रवाई से इस विभाग को भी अवगत करवायें ।

JS(OL)

02.05.2014
(भोपाल सिंह)
निदेशक(नीति)

प्रति:

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के संयुक्त सचिव(प्रशासन)
2. निदेशक, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, पर्यावरण भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली ।
3. निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान,पर्यावरण भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली ।
4. राजभाषा विभाग के सभी अधिकारी/अनुभाग ।
5. एन.आई.सी., राजभाषा विभाग से अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन को राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने का प्रबंध कराएं ।